<u>डिस्कलेमर</u>

आदेश संख्या 16/2026-27 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 16/2026-27

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 03.09.2026

सेवा	**:**	**ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं (जीएचएस)**
सेवा प्रदाता	**:**	**मेंजीज एविएशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड**
हवाईअड्डा	**:**	**केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलोर (केआईए)**
हवाईअड्डा प्रचालक	**:**	**बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलोर (बीआईएएल)**

मैसर्स मेंजीज एविएशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलोर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 31.03.2027 तक के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।

मेंज़ीज़ एविएशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तुति :

1. मैसर्स मेंज़ीज़ एविएशन (इंडिया) ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (स्वतंत्र सेवा प्रदाता) ने दिनांक 26.3.2026 के अपने पत्र द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया है कि उन्हें कैंपेंगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रावधान के लिए हवाईअड्डा प्रचालक अर्थात बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) द्वारा निविदा प्रक्रिया में सफल बोलीदाता के रूप में चुना गया है। इस संबंध में, हवाईअड्डा प्रचालक ने आईएसपी के पक्ष में दिनांक 16.01.2026 का आशय पत्र (एलओआई) जारी किया है, जिससे प्रभावी तारीख से 15 (पंद्रह) वर्ष की अवधि के लिए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बैंगलोर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है।

2. स्वतंत्र सेवा प्रदाता ने दिनांक 26.03.2026 के उपर्युक्त पत्र के माध्यम से बताया कि वे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपनी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में नियमित टैरिफ के निर्धारण के लिए बहु-वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) तैयार कर रहे हैं और प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह केआईए में मौजूदा ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाताओं के लिए ऐरा द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर, केआईए में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में तदर्थ टैरिफ के लिए अनुमोदन प्रदान करें।

3. मैंसर्स मेन्ज़ीज़ एविएशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने जीएचएस के लिए तदर्थ टैरिफ के लिए अनुमोदन के अपने अनुरोध के साथ बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा जारी दिनांक 16.01.2026 के आशय पत्र (एलओआई) सं. बी.आई.ए.एल./पी एंड सी/2025-26/97 प्रस्तुत किया है।

<u>प्राधिकरण की जांच</u>

4 प्राधिकरण ने नोट किया कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बैंगलोर के हवाईअड्डा प्रचालक ने मैंसर्स मेन्जीज़ एविएशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (आईएसपी) के पक्ष में आशय पत्र जारी किया है, जिससे केआईए, बैंगलोर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। हालाँकि, यह नोट किया गया कि स्वतंत्र सेवा प्रदाता ने हवाई अड्डा प्रचालक के साथ किए गए रियायत करार और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा जारी सुरक्षा अनुमति की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। तदनुसार, स्वतंत्र सेवा प्रदाता को केआईए, बैंगलोर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में तदर्थ टैरिफ के अनुमोदन के लिए अपने अनुरोध की आगे की प्रक्रिया के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

5 इसके बाद, मैंसर्स मेन्ज़ीज़ एविएशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 27.05.2026 की अपनी ईमेल के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की।

i. स्वतंत्र सेवा प्रदाता और हवाई अड्डा प्रचालक के बीच केआईए में प्रभावी तिथि से शुरू कर 15 वर्ष की अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रावधान के लिए दिनांक 02.02.2026 को निष्पादित रियायत करार की प्रति

ii. बीसीएएस द्वारा दिनांक 18.05.2026 के पत्र संख्या 1245/16/2026-बैंगलुरु-बीसीएएस (ई- 285893) द्वारा जारी सुरक्षा अनुमति की प्रति, जो पत्र जारी करने की तारीख से पांच वर्ष के लिए वैध है।

6 यह नोट किया गया है कि स्वतंत्र सेवा प्रदाता ने केआईए, बैंगलोर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कर रहे मौजूदा स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए ऐरा द्वारा पहले अनुमोदित टैरिफ के अनुसार ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ की मांग की है। वर्तमान में, दो स्वतंत्र सेवा प्रदाता, अर्थात्, मैंसर्स ग्लोब ग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, केआईए, बैंगलुरु में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

7 स्वतंत्र सेवा प्रदाता के अनुरोध की जांच करने के बाद, प्राधिकरण का यह विचार है कि सेवा प्रदाता को अपना नियमित बहु-वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत करने और प्राधिकरण द्वारा आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ के निर्धारण के लिए यथोचित विनियामक प्रक्रिया को पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा। इस बीच, प्राधिकरण अंतरिम उपाय के रूप में, **केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलोर** में स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए इसकी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में तदर्थ टैरिफ पर विचार करने का निर्णय लेता है, जो **केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलोर** से प्रचालन कर रही अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के लिए लागू टैरिफ के आधार पर है। स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए **केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर** अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों की तुलनात्मक दरों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा तय की गई तदर्थ टैरिफ इस आदेश के संलग्नक I, II और III में दी गई है।

आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) मैंसर्स मेंज़ीज़ एविएशन (इंडिया) ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलोर में संलग्नक - (I,II और III) के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से **31.03.2027 तक**, या स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ आधार पर प्रभार वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय नॉन शेड्यूल्ड और सामान्य विमानन प्रचालनों के लिए मद-वार प्रभार सहित ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ समान श्रेणी के विमान (नों) की संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।

(iii) इसमें अनुमोदित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(iv) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।

(v) मैंसर्स मेंज़ीज़ एविएशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 27.10.2022 के पत्र संख्या एवी-24011/10/2021–एएआई-मोका द्वारा जारी निदेशों के अनुसार केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलोर में ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(vi) स्वतंत्र सेवा प्रदाता नियमित टैरिफ निर्धारण के लिए इस टैरिफ आदेश के जारी होने के तीन माह के भीतर अपना एमवाईटीपी प्रस्तुत करेगा।

(vii) हवाईअड्डा प्रचालक इस टैरिफ आदेश को सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(viii) इसमें ऊपर निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(ix) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री जयंत वी. राव,
मुख्य वित्त अधिकारी,
मेंज़ीज़ एविएशन (इंडिया) ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
कार्गो टर्मिनल,1 प्लॉट सं. सी-04 एल
केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलौर-560300

प्रतिलिपि सूचनार्थ,

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003
2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलौर